

समाहरणालय, अररिया

कार्यालय अधीक्षक उत्पाद, अररिया



बिहार सरकार

बिक्री अधिसूचना

(वित्तीय वर्ष 2015-16)

बन्दोवस्ती की तिथि - 14 मार्च 2015

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि - 9 मार्च 2015

विक्री अधिसूचना

वित्तीय वर्ष 2015-16 (1ली अप्रैल 2015 से 31 मार्च, 2016 तक) (देशी/मसालेदार देशी शराब,

विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब दुकानों की खुदरा विक्री के लिए)

1. इसके साथ संलग्न सूची में अंकित स्थानों या अवस्थिति के क्षेत्रों के लिए देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती दिनांक 14-03-2015 को तथा आवश्यकतानुसार उसके अगले दिन 10:00 बजे दिन से (स्थान) समालेदार देशी शराब लॉटरी

प्रणाली द्वारा निर्धारित फीस पर बंदोबस्त की जायेगी।

2. लॉटरी द्वारा दुकानों की बंदोबस्ती निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी और इन सभी शर्तों से अपने को प्रशिक्षित रखते हुए ही कोई व्यक्ति बंदोबस्ती में भाग ले सकता है।

3. लॉटरी द्वारा बंदोबस्त होने वाली देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की दुकानों की अवस्थिति के नामले में दुकान के स्थान या स्थान के नाम के बदले एक या अधिक दुकानों की अवस्थिति का क्षेत्र घोषित कर बंदोबस्ती की जायेगी।

4. (क) सभी प्रकार के शराब के खुदरा दुकानों को लॉटरी प्रणाली द्वारा नूल रूप से दुकानवार बंदोबस्त किया जाएगा लेकिन राजस्व हित में अधिकधिक दुकानों की बंदोबस्ती के प्रयोजनार्थ उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती एकल दुकान या अधिकतम 03 (तीन) खुदरा उत्पाद दुकानों का समूह बनाकर वर्तमान नीति के प्रावधानों के तहत लॉटरी द्वारा बंदोबस्त किया जाएगा। छोटा समूह अधिकतम तीन दुकानों का इस प्रकार बनाया जाएगा जिसमें लगभग दुकानों के साथ अपेक्षाकृत कम लाभ वाले दुकानों भी रहेंगी।

दुकानों के प्रत्येक समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के लिए तीन व्यक्तियों का नाम लॉटरी द्वारा निकाला जाएगा। लॉटरी द्वारा निकाले गए प्रथम नाम के साथ ही दुकान की बंदोबस्ती की जाएगी। यदि किसी कारण से प्रथम व्यक्ति के साथ बंदोबस्त नहीं हो सके या बंदोबस्ती के बाद भी यदि अनुझारि विखंडित हो जाती है तो उपर्युक्त समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के दुकान के लिए चयनित दूसरे लॉटरी विजेता तथा उसके मुकर जाने के उपरान्त तीसरे लॉटरी विजेता के साथ बंदोबस्ती की जाएगी।

यदि लॉटरी विजेता दुकान/दुकानों के समूह की बंदोबस्ती लेने से मुकर जाता है तो वह राज्य के

किसी भी दुकान की बंदोबस्ती लेने से निरहित हो जाएगा।

(ख) किसी जिला में चयनित आवेदक के साथ तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोबस्ती नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोबस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ग) किसी दुकान या दुकानों के समूह के लिए तीन से कम अभ्यर्थी होने की स्थिति में उपलब्ध

अवस्थियों के बीच ही लॉटरी द्वारा बंदोबस्ती की कारवाई की जायेगी।

5. इस बिन्की अधिसूचना में वर्णित शर्तें अनुज्ञप्ति की भी शर्तें मानी जायेगी। बिन्की अधिसूचना के प्रपत्र की प्रतिलिपि समाहर्ता के कार्यालय/विभाग के वेबसाईट www.excise-bihar.gov.in पर देखी जा सकती है।

6. (क) लौटरी द्वारा बंदोबस्त खुदरा दुकानों की अनुज्ञप्ति 1ली अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगी जो 31 मार्च, 2016 तक के लिए प्रदान की जायेगी। किसी अनुज्ञप्ति की बंदोबस्ती अगर वर्ष 2015-16 के बीच में किसी अन्य तिथि के प्रभाव से कटी जाती है तब भी बंदोबस्ती की तिथि से 31 मार्च, 2016 तक के लिए ही अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

(ख) अनुवर्ती वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति नवीकरण सरकार द्वारा निर्धारित बंधन एवं शर्तों पर की जा सकती है, परंतु दो उत्पाद वर्ष जो दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त होगी, उससे अधिक अवधि के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी।

7. (क) लौटरी द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी (आवेदकों) को अपने आवेदन के साथ वैयक्तिक पहचान-प्रमाण (आइडेंटिटी प्रूफ) के रूप में स्थायी निवास के प्रमाण के लिए फोटो युक्त पहचान-पत्र जैसे मतदाता परिचय-पत्र, पासपोर्ट, आयकर स्थायी खाता संख्या, एवं ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि समर्पित करने की अनिवार्यता होगी तथा यदि किसी कारणवश फोटो युक्त पहचान पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर नहीं समर्पित की जाती है तो किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिमतिपत्र फोटो तथा राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, जल/टेलीफोन/बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेटमेंट इनमें से किसी एक प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करने की अनिवार्यता होगी।

लौटरी प्रणाली द्वारा बंदोबस्त की जानेवाली खुदरा देशी शराब/मसालेदार देशी शराब दुकानें, भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें तथा कंपोजिट शराब की दुकानों की बंदोबस्ती लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति एक या एक से अधिक दुकान या एक से अधिक समूह की दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकता है, वसर्तें सभी दुकानों एवं समूह के दुकानों जिसके लिए आवेदन देगा उसपर विभाग द्वारा निर्धारित अलग-अलग आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फी) जमा करना होगा जो उन्हें वापस लौटाई नहीं जाएगी। परंतु अधिकतम तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोबस्ती एक जिले में एक व्यक्ति के साथ नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोबस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ख) लौटरी द्वारा बंदोबस्त की जानेवाली उत्पाद खुदरा दुकानों के लिए प्रत्येक इच्छुक आवेदकों से दुकानों को दो श्रेणी में विभक्त कर यथा हाई पोटेंसियल जोन एवं लो पोटेंसियल जोन के आधार पर समर्पित की जानेवाली आवेदन के साथ दुकानवार निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि, जो वापसी योग्य नहीं है, को एकीकृत कर "हाई पोटेंसियल जोन" के लिए निर्धारित श्रेणीवार दुकानों के लिए निर्धारित किए गए आवेदन शुल्क की राशि ही निम्नपत्र निर्धारित दर से आवेदन शुल्क की राशि के रूप में देय होगा।

क्षेत्र का नाम	हार्ड पोर्टेथियल तथा लो पोर्टेथियल जोन के लिए
पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित	₹0 7000.00 (सात हजार)
अन्य नगर निगम क्षेत्र के लिए	₹0 5000.00 (पाँच हजार)
नगर परिषद के लिए	₹0 4000.00 (चार हजार)
नगर पंचायत क्षेत्र के लिए	₹0 3000.00 (तीन हजार)
प्रखंड मुख्यालय (जो उपर्युक्त क्षेत्रों से भिन्न हो)	₹0 3000.00 (तीन हजार)
अन्य ग्रामीण क्षेत्र	₹0 2000.00 (दो हजार)

छोटे समूह में उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती लेनेवाले इच्छुक आवेदकों से आवेदन शुल्क की राशि समूह के प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग निर्धारित दर पर ही जमा कलाई जाएगी, न कि समूह के दुकानों को एक दुकान मानकर उन्हें समूह के दुकान के लिए एक दुकान का आवेदन शुल्क जमा करने की छूट दी जाएगी।

अभ्यर्थी राज्य के किसी भी जिला में अवस्थित किसी भी दुकान के लिए आवेदन दे सकते हैं। यदि वे चाहें तो जिस जिला में वे रहते हैं, वहाँ के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीकृत उत्पाद के कार्यालय से बाहर के जिला में अवस्थित दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन फीस बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से समर्पित करना होगा जो उस जिला में भुगतें होगा जिस जिला की दुकान के लिए वह आवेदन देगा।

8. बंदोबस्ती में किसी भी आवेदक के विरुद्ध निम्नलिखित कोई अयोग्यता पाये जाने पर उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा -

- (क) अगर वह 21 वर्ष से कम आयु का हो,
- (ख) वह सरकारी बकायेदार हो।
- (ग) आवेदक का नाम उत्पाद बकायेदार की सूची या काली सूची में हो।
- (घ) अगर वह दिवालिया (इनसोल्वेंट) हो।

आवेदक को उपरोक्त अयोग्यता नहीं रहने के समर्थन में निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (i) उसपर कोई सरकारी देयता अथवा बकाया नहीं है ;
- (ii) उसका नाम उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बकाया अथवा काली सूची में नहीं है,
- (iii) उसे बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रावधानों के अधीन उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से न तो वर्जित किया गया है और न किसी भी अन्य राज्य से तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित किया गया है तथा उसका नाम अन्य राज्यों की बकाया एवं काली सूची में नहीं है ;

(iv) उसका नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसके विचार उत्पाद अधिनियम 1915, स्वापक औषधि एवं मनः प्रमादी पदार्थ अधिनियम 1985 या किसी संज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध में दंडित किये जाने की स्थिति में वह एक वर्ष से अधिक की कारावास-अवधि का राजायफता नहीं है ; और

(v) यह अन्डरटेकिंग कि उसके अनुज्ञाधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में, राज्य के जिन-जिन जिलों में पूर्व में वह लाइसेन्सी रहा है, उन जिलों से बकायादार/काली सूची में सम्मिलित नहीं होने से संबंधित प्रमाण-पत्र लाइसेन्स जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर यदि उसके द्वारा लाइसेंसिंग पदाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लाइसेंसिंग पदाधिकारी उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त/विखंडित कर सकेगा।

9. बंदोबस्ती में नाग लेने के दृष्टिक अन्वर्थी अपनी पात्रता के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ सभी परिपूर्ण अभिलेख बंदोबस्ती के दिन को छोड़कर पाँच दिन पूर्व जिला उत्पाद कार्यालय में जमा करेगा तथा उसकी प्राप्ति रसीद लेगा। आवेदन के साथ निम्नांकित कागजात (आवेदन शुल्क की राशि सहित) समर्पित करने की अनिवार्यता होगी :

(क) एकल दुकान या समूह की दुकानों, जिसके लिए वे आवेदन देना चाहते हैं, उसके लिए

अलग-अलग दर पर निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि नगद, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक

द्वारा;

(ख) शपथ पत्र (विकी अधिसूचना के प्रावधानानुसार);

(ग) वैयक्तिक पहचान प्रमाण (आइडेंटिटी प्रूफ) से संबंधित बंछित कागजात।

10. कर्तव्यरथ पदाधिकारियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति बंदोबस्ती वाले हॉल में हॉल टिकट प्रस्तुत किये बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीनस्थ उत्पाद, जैसी भी स्थिति हो, यास्तविक आवेदक या उसकी अनुपस्थिति में उसके एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को एक निशुल्क हॉल टिकट निर्गत करेंगे।

11. दुकानों की बंदोबस्ती के लिए लॉटरी निकालने के दो दिन पूर्व उस दुकान के योग्य व्यक्तियों के नामों की सूची प्रकाशित कर दी जायेगी।

12. किसी भी आवेदक की वैयक्तिक पहचान पत्र, पात्रता एवं उनके द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के संबंध में दूसरे आवेदक द्वारा लिखित चुनौती/लॉटरी के पूर्व दी जा सकती है। आवेदक की पात्रता, शपथ-पत्र के संबंध में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

13 (क) यदि कोई दुकान/दुकानों के समूह किसी कारण से बंदोबस्त नहीं हो सके, तो समाहर्ता पुनः विकी अधिसूचना प्रकाशित करेंगे। परंतु इसके लिए पन्द्रह दिन पूर्व विकी अधिसूचना प्रकाशित करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

(ख) बंदोबस्ती सर्वप्रथम वैसी दुकान/दुकानों के समूहों से प्रारंभ की जायेगी जिसका न्यूनतम प्रथममूल मात्रा कम होगी।

14 (क) बंदोबस्ती के तुरंत बाद बंदोबस्तदार को वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का बारहवां भाग अग्रिम अनुज्ञाशुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा करना होगा।

बंदोबस्तदार को वार्षिक अनुज्ञाप्तिफीस के बारहवां भाग के बराबर प्रतिभूति राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी या जिले के समाहर्ता अथवा सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के पदनाम से बंधीकृत फिक्स्ड डिपोजिट (Scheduled Nationalised Bank का) या थातीकृत राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में बंदोबस्ती के तुरंत बाद जमा करना होगा। बैंक गारंटी की मान्यता अवधि जून, 2018 रहेगी।

(ख) बंदोबस्तदार/अनुज्ञाप्तिधारी प्रत्येक माह की 1ली तारीख को वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस का 12वां भाग जिला के कोषागार में जमा करेगा। किसी कारणवश पहली तारीख तक अनुज्ञाप्तिफीस जमा नहीं कर सकने की स्थिति में अनुज्ञाधारी संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से कारण सहित समय के लिए अनुरोध कर सकता है परंतु हर हाल में माह की 20वीं तारीख तक अनुज्ञाप्ति फीस अवश्य जमा कर देगा। यदि 20वीं तारीख सार्वजनिक अवकाश का दिन हो तो अगले कार्य दिवस को जमा करेगा, अन्यथा अनुज्ञाप्ति रद्द कर दी जायेगी तथा जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जायेगी तथा उक्त दुकान/दुकानों के समूह लॉटरी के क्रम संख्या दो के अगले दो के साथ अथवा अगले संख्या-2 को दुकान लेने से इकार करने पर अभ्यर्थी संख्या तीन के साथ बंदोबस्त कर दी जायेगी।

(ग) खुदरा उत्पाद दुकानों की समूह में बंदोबस्ती लेने वाले अनुज्ञाधारियों की, समूह के किसी दुकान की अनुज्ञाप्ति की शर्तों के उल्लंघन के लिए उस दुकान की अनुज्ञाप्ति के साथ-साथ समूह के अन्य दुकानों की अनुज्ञाप्ति भी बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का पालन करते हुए विखंडित कर समूह के सभी दुकानों की जमानत राशि एवं अग्रिम अनुज्ञाशुल्क जप्त कर ली जा सकेगी।

15 (क) जहाँ बंदोबस्ती पूरे वर्ष के लिए होगी वहाँ अनुज्ञाप्ति फीस कुल वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस का बारहवां भाग उपयुक्त कड़िका (ख) के अनुसार जमा करेगा। परन्तु जहाँ बंदोबस्ती साल के बीच में होगी वहाँ समानुपातिक मासिक अनुज्ञाशुल्क देय होगी।

(ख) किसी मदिरा की दुकानें सम्पूर्ण उत्पाद वर्ष के लिए बंदोबस्त की जायेगी। अगर बंदोबस्ती साल के बीच में होगी तो वैसी स्थिति में वह उत्पाद वर्ष की 31वीं मार्च तक प्रभावी रहेगी।

(ग) प्रतिभूति राशि तथा एक माह की अग्रिम अनुज्ञाप्ति फीस के साथ-साथ जिस माह से अनुज्ञाप्ति दी गयी है, उस माह की अनुज्ञाप्ति फीस भी जमा करने के बाद बंदोबस्तदार के पक्ष में अनुज्ञाप्ति तुरंत निर्गत कर दी जायेगी। अग्रिम अनुज्ञाशुल्क, वर्ष की समाप्ति वाले माह में समायोजित होगी, इसके लिए अनुज्ञाधारी को आवेदन देना होगा परन्तु प्रतिभूति राशि अनुज्ञाप्ति अवधि की समाप्ति के बाद, उसके बकाया राशि, अगर कुछ हो, की कटौती कर वापस की जायेगी।

(घ.) स्थल का अनुमोदन होते ही रथद्व का ब्योरा अनुज्ञाप्ति में अंकित कर दिया जायेगा।



16. (क) फंडिका 15(ग) के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त होते ही आपत्ति रहित स्थल उपलब्ध कराने की पूरी जबाबदेही अनुज्ञाधारी की होगी। अनुज्ञाधारी बंदोबस्ती के बाद दस दिनों के अंदर आपत्ति रहित प्रस्तावित दुकान परिसर के पूर्ण विवरण के साथ उसके अनुमोदन हेतु जिला के सनाहत्ता को आवेदन देंगे। समाहत्ता द्वारा अनुमोदित स्थल पर ही दुकान खोली जायेगी। स्थल की स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय आवेदन प्राप्त के दस दिनों के अन्दर सनाहत्ता द्वारा कर दिया जायेगा, अन्यथा अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद तथा सनाहत्ता संयुक्त रूप से राजस्व क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे।

बंदोबस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति स्थल के अनुमोदन हेतु समर्पित किये जाने वाले अपने आवेदन पत्र के साथ अनुज्ञप्ति स्थल के प्रवेश-द्वार एवं अंदर के भाग तथा उसके चौहद्दी में स्थित भूमि-मवन/खाली स्थानों का Still Photograph, जिसमें मात्र उनकी भी उपस्थिति रहेगी, तीन प्रतियों में अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करेंगे।

(ख) बंदोबस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से दो माह के अंदर अपने स्थायी लेखा संख्या (PAN) के कार्ड की छायाप्रति अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र के कंपोजिट शराब की दुकानें शहरी क्षेत्र (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) की सीमा से कम से कम दो किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी तथा प्रखंड मुख्यालय अवस्थित पंचायत की सीमा से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी।

17. स्थल चयन के कारण दुकान खोलने में विलम्ब के लिए अनुज्ञप्तिधारी स्वयं जिम्मेवार होगा, तथा इसके लिए किसी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति का वह हकदार नहीं होगा।

18. सरकार शराब पर देय उत्पाद कर में एवं राजस्व एवं द लागत मूल्य में किसी भी समय परिवर्तन कर सकती है।

19. (क) वित्तीय अधिसूचना में अंकित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का बारहवां भाग प्रत्येक माह में अनुज्ञाधारी को उठाना होगा। निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उपर किन्तु 15 प्रतिशत तक अधिक उठाव करने पर अनुज्ञप्ति फीस पर पूर्ण छूट होगी परन्तु निर्धारित कोटा के 15 प्रतिशत से भी उपर उठाव करने पर देय प्रति एल0पी0एल0 अनुज्ञप्ति फीस की राशि का 50 प्रतिशत राशि का मुगतान अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस के रूप में अग्रिम रूप से देय होगा। किसी माह का बचा हुआ कोटा अगले माह में उठाने पर इसे अतिरिक्त उठाव नहीं माना जायेगा परन्तु माह मार्च का बचा हुआ कोटा माह अप्रैल में उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ख) विदेशी शराब की खुदरा अनुज्ञप्ति के मामले में यदि कोई बंदोबस्तदार अपनी अनुज्ञाप परिसर को "ऑन" बिक्री में परिवर्तित करना चाहेगा तो वह उस दुकान के वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का दस प्रतिशत अधिक राशि देने की सहमति के साथ संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को आवेदन देगा। उसके आवेदन पर विचार करते हुए उसे अपनी दुकान में "ऑन" बिक्री की अनुमति दी जायेगी लेकिन ऐसी स्थिति में उत्पाद नियम 47 के अंतर्गत स्थल आपत्ति रहित होने पर ही यह सुविधा दी जा सकती है।

(ग) "ऑन" बिक्री के लिए उसी परिसर से सटा हुआ एक अलग कमरा/जगह जो "ऑफ" काउन्टर से अलग हो, रखना होगा तथा उसका पूर्ण विवरण तथा नक्शा का ब्लू प्रिंट तीन प्रतियों में समाहर्ता के अनुमोदनार्थ देना होगा, जो समाहर्ता से अनुमोदित होना अनिवार्य होगा।

(घ) समानुपातिक मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस तक अनुज्ञाधारी को उठा लेना होगा।

(ङ.) प्रत्येक प्रकार की मंदिरा के बोटल/सीसे पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित रहेगा तथा उससे अधिक मूल्य पर उपभोक्ता को नहीं बेचेगा।

20. अनुज्ञाधारी उठायी गयी सम्पूर्ण शराब की मात्रा अनुज्ञापत्र अवधि की समाप्ति के पूर्व तक बेचना सुनिश्चित करेगा।

21. मंदिरा की अनापूर्ति की दशा, दुकान खुलने में विलम्ब, चुनाव के कारण दुकान की बंदी आदि की दशा में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी और नहीं अनुज्ञाशुल्क में छूट का कोई चावा स्वीकार किया जायेगा।

22(क) अनुज्ञाधारी अपनी अनुज्ञप्ति परिसर के बाहर मुख्य दरवाजा पर लगी बोर्ड पर निम्नांकित सूचनाएं स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेगा -

(i). दुकान का नाम एवं अनुज्ञप्ति अवधि.

(ii). अनुज्ञाधारी का नाम

(iii). दुकान के अधिकृत विक्रेता का नाम

(iv). सभी श्रेणी के शराब का अधिकतम खुदरा मूल्य

(ख). बंदोबस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर के प्रवेश द्वार पर विभागीय पत्रांक 4085 दिनांक 31.12.10 में निर्धारित मानक के अनुसार 3'x2.5' साईज का साईन बोर्ड लगायेगा तथा उस पर निर्धारित भाषा एवं रंग में ही आवश्यक सूचना लिखवायेगा।

(ग). बंदोबस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर अथवा उसके आस-पास किसी उत्तेजक चित्र एवं भाषा वाले पोस्टर्स/बोर्ड का उपयोग न तो स्वयं करेंगे और नहीं किसी अन्य को इसकी अनुमति देंगे।

(घ). बंदोबस्तधारी, निगम के डीपो से पास्त्युक में प्रविष्टि कराकर ही मंदिरा का निर्गमण लेंगे।

23.(क) बंदोबस्तदार विहार उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बने उन सभी नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार/राजस्व पर्वद द्वारा बनाये गये हैं, या समय-समय पर बनाये जायेंगे। साथ ही, अनुज्ञप्तिधारी सक्षम पदाधिकारी से समय-समय पर जारी किये गये या किये जाने वाले सभी संबंधित आदेशों, निर्देशों एवं अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

(ख) अनुज्ञप्ति परिसर में निरीक्षण के समय अनुज्ञाधारी निरीक्षी पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करेगा। स्टॉक पंजी प्रत्येक दिन का अद्यतन लिखना आवश्यक होगा। अनुज्ञप्ति परिसर में अनुज्ञप्ति भी रखना होगा तथा मांगने पर सभी अभिलेख प्रदर्शित करना होगा।

24. राज्य सरकार अपनी बंदोबस्ती नीति में किसी भी समय परिवर्तन करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।



25. इस चिह्न अधिसूचना की शर्त अनुकूलि की शर्त भी मानी जायेगी तथा इसके उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम की धारा 42 एवं अन्य संगत प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।


समाहर्ता

समाहरणालय का नाम - पुररिया

दिनांक - 27/2/15


27/2/15

जिला - अररिया
वित्तीय वर्ष :- 2015-16

उत्पाद दुकानों का समूह सहित मासिक न्यूनतम स्कंध , मासिक अनुज्ञा शुल्क तथा आवेदन शुल्क की विवरणी :-

क्र० सं०	समूह सं०	दुकान का नाम	मासिक न्यूनतम स्कंध (L.P.L/B.L)				दुकान का मासिक अनुज्ञा शुल्क	समूह का मासिक अनुज्ञा शुल्क	आवेदन शुल्क	अभियुक्ति
			देशी	म०देशी	विदेशी	बीयर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	नगर परिषद अररिया देशी न० - 1	2552	348			261000	522000	8000	
2		नगर परिषद अररिया देशी न० - 2	2552	348			261000			
		कुल योग	5104	696			522000			
3	2	नगर परिषद अररिया देशी न० - 3	2552	348			261000	522000	8000	
4		नगर परिषद अररिया देशी न० - 4	2552	348			261000			
		कुल योग	5104	696			522000			
5	3	नगर परिषद अररिया देशी न० - 5	2552	348			261000	522000	8000	
6		नगर परिषद अररिया देशी न० - 6	2552	348			261000			
		कुल योग	5104	696			522000			
7	4	नगर परिषद अररिया देशी न० - 7	2552	348			261000	449000	6000	
8		केसरा कम्पौ	1056	144	500	500	188000			
		कुल योग	3608	492	500	500	449000			

जिला - अररिया
वित्तीय वर्ष :- 2015-16

उत्पाद दुकानों का समूह सहित मासिक न्यूनतम स्कंध , मासिक अनुज्ञा शुल्क तथा आवेदन शुल्क की विवरणी :-

उत्पाद दुकानों का समूह मासिक मासिक न्यूनतम स्कंध (L.P.L/B.L)										
क्र० सं०	समूह सं०	दुकान का नाम	मासिक न्यूनतम स्कंध (L.P.L/B.L)				दुकान का मासिक अनुज्ञा शुल्क	समूह का मासिक अनुज्ञा शुल्क	आवेदन शुल्क	अभियुक्ति
			देशी	म०देशी	विदेशी	बीयर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	5	नगर परिषद अररिया वि०श० न० - 1			1430	2600	240500	481000	8000	
10		नगर परिषद अररिया वि०श० न० - 2			1430	2600	240500			
		कुल योग			2860	5200	481000			
11	6	नगर परिषद अररिया वि०श० न० - 3			1430	2600	240500	481000	8000	
12		नगर परिषद अररिया वि०श० न० - 4			1430	2600	240500			
		कुल योग			2860	5200	481000			
13	7	नगर परिषद अररिया वि०श० न० - 5			1430	2600	240500	481000	8000	
14		नगर परिषद अररिया वि०श० न० - 6			1430	2600	240500			
		कुल योग			2860	5200	481000			
15	8	नगर परिषद अररिया वि०श० न० - 7			1430	2600	240500	481000	8000	
16		नगर परिषद अररिया वि०श० न० - 8			1430	2600	240500			
		कुल योग			2860	5200	481000			

a

वित्तीय वर्ष :- 2015-16

जिला - अररिया

उत्पाद टुकानों का समूह सहित मासिक अनुवम रकम, मासिक अनुवम रकम तथा आवेदन रकम की विवरणी :-

क्र० सं०	समूह सं०	टुकान का नाम						मासिक अनुवम रकम (L.P./B.L.)		टुकान का मासिक अनुवम रकम	समूह का मासिक अनुवम रकम	आवेदन रकम	अभिव्यक्ति		
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11
								टुकान	मासिक अनुवम रकम	विदेशी	बीयर				
17	9	नगर पालिका अररिया वि० सं० - 9							1430	2600	240500				
18	9	नगर पालिका अररिया वि० सं० - 10								1430	2600	240500			
		कुल योग								2860	5200	481000			
19	10	ग्राम पालिका टुकान सं० - 1						1496	204			153000			
20	10	बरीली कपास						704	96	627	650	172550			
		कुल योग						2200	300	627	650	325550			
21	11	ग्राम पालिका टुकान सं० - 2						1496	204			153000			
22	11	विवाह कपास (कारखाना)						616	84	550	650	152000			
		कुल योग						2112	288	550	650	305000			

जिला - अरिया

वित्तीय वर्ष :- 2015-16

उत्पाद दुकानों का समूह सहित मासिक खानपान खर्च, मासिक अर्जना खर्च तथा आवदन खर्च की विवरणी :-

क्र० सं०	समूह सं०	दुकान का नाम	मासिक खानपान खर्च (L.P./B.L.)	दुकान का मासिक अर्जना खर्च	समूह का मासिक अर्जना खर्च	आवदन खर्च	अभिव्यक्ति			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	12	गोमट खानपान विभाग नं० - 1		1200	1820	198200		594600	9000	
24		गोमट खानपान विभाग नं० - 2		1200	1820	198200				
25		गोमट खानपान विभाग नं० - 3		1200	1820	198200				
26	13	निदरस कम्पौ	1232	168	770	650	248000	599550	6000	
27		परीस कम्पौ	616	84	550	650	152000			
28		कालावर्तुआ कम्पौ	968	132	627	650	199550			
		कुल योग	2816	384	1947	1950	599550	501000	6000	
29	14	निर्वाह कम्पौ (खानपान नं०)	968	132	550	650	188000	501000	6000	
30		परीस कम्पौ	704	96	550	650	161000			
31		खाना / खानपान कम्पौ	616	84	550	650	152000			
		कुल योग	2288	312	1650	1950	501000			

जिला - अरिया

वित्तीय वर्ष :- 2015-16

उत्पाद दुकानों का समूह सहित मासिक न्यूनतम रकम , मासिक अगुआ श्रृंखला तथा आवेदन श्रृंखला की विवरणी :-

क्र०	समूह सं०	दुकान का नाम							मासिक न्यूनतम रकम (L.P.L/B.L)				दुकान का समूह	आवेदन श्रेणिक	अविवरित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
32	15	ग्रामो लोकीहाट दंडाग नं० - 1	2200	300		225000		599100	8000	599100	कुल योग	5174	706	440	390	599100	
33		ग्रामो लोकीहाट दंडाग नं० - 2	2200	300		225000		149100			हरदा कम्पौ	774	106	440	390	149100	
34																	
												कुल योग	5174	706	440	390	599100
35	16	ग्रामो लोकीहाट वि०श० नं० - 1			1459	2405	242900	599650	8000	599650	ग्रामो लोकीहाट वि०श० नं० - 1			1459	2405	242900	
36		ग्रामो लोकीहाट वि०श० नं० - 2			1459	2405	242900	113850			सिकटी कम्पौ	510	70	385	390	113850	
37												कुल योग	510	70	3303	5200	599650
38	17	ग्रामो पलासी दंडाग	1320	180		135000		366500	5000	366500	ग्रामो पलासी दंडाग	1320	180			135000	
39		सहिंदर हाट कम्पौ	1232	168	660	650	231500					सहिंदर हाट कम्पौ	1232	168	660	650	231500
												कुल योग	2552	348	660	650	366500

2015-16 :- 16

- : ശുദ്ധവ്യക്തികൾക്ക് കാര്യം പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച്, ദൈവത്തിന്റെ കർമ്മത്തെപ്പറ്റി വെളിച്ചം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക.

क्र०	समूह सं०	दुकान का नाम	मासिक योग्यता रकम (L.P./B.L)				दुकान का मासिक अर्जना शुल्क	समूह का मासिक अर्जना शुल्क	आवेदन शुल्क	अभियोजित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	18	मोडो प्लासी विभाग			825	1560	139350	573850	7000	11
41		मदतपुर कम्पनि	1056	144	880	650	246500			
42		रामनगर कम्पनि	968	132	550	650	188000			
		कुल योग	2024	276	2255	2860	573850			
43	19	मदतपुर कम्पनि	880	120	550	650	179000	587100	6000	
44		किशनपुर (उखवा) कम्पनि	968	132	627	650	199550			
45		हरबागड़ी कम्पनि	1056	144	627	650	208550			
		कुल योग	2904	396	1804	1950	587100			
46	20	कनौड़िया कम्पनि	792	108	550	650	170000	566550	6000	
47		बुढागा कम्पनि	1144	156	627	650	217550			
48		धरवडा कम्पनि	880	120	550	650	179000			
		कुल योग	2816	384	1727	1950	566550			

जिला - अररिया

वित्तीय वर्ष :- 2015-16

उत्पाद टुकानों का समूह सहित मासिक न्यूनतम स्केड , मासिक अर्जुआ स्केड तथा आवेदन स्केड की विवरणी :-

क्र० सं०	समूह सं०	टुकान का नाम	मासिक न्यूनतम स्केड (L.P.L/B.L)	टुकान का मासिक अर्जुआ स्केड	आवेदन स्केड	अभिव्यक्ति				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	21	पट्टेना कम्पौ	1144	156	627	650	217550	575550	6000	
50		रामपुड मीनपुड कम्पौ	1056	144	650	650	197000			
51		परमपट्ट कम्पौ	704	96	550	650	161000			
		कुल योग	2904	396	1727	1950	575550			
52	22	मोमो कुसुकाटा दूधो	2024	276			207000	527750	8000	
53		मोमो कुसुकाटा बिओशो			1100	2080	185800			
54		कुसुमासि / सोममनी गोदाम कम्पौ	704	96	385	520	134950			
		कुल योग	2728	372	1485	2600	527750			
55	23	मिडिमिडी (बरेदास) कम्पौ	1056	144	627	650	208550	461720	6000	
56		परमपट्ट कम्पौ	667	91	627	650	168770			
57		उकटेल कम्पौ	290	40	330	520	84400			
		कुल योग	2013	275	1584	1820	461720			

जिला - अररिया

वित्तीय वर्ष :- 2015-16

उत्पाद टुकानों का समूह सहित मासिक अनुक्रम संकेत , मासिक अनुज्ञा संकेत तथा आवेदन संकेत की विवरणी :-

क्र० सं०	समूह सं०	टुकान का नाम	मासिक अनुक्रम संकेत (L.P./B.L.)				टुकान का मासिक अनुज्ञा संकेत	समूह का मासिक आवेदन संकेत	अभिव्यक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	24	रायगढाडी कम्पनी	1056	144	627	650	208550	519130	6000	
		कृषाडी विशुनपु कम्पनी	880	120	550	650	179000			
		कासल कम्पनी	580	80	440	618	131580			
		कुल योग	2516	344	1617	1918	519130			
61	25	मोमो परगमा देओ	774	106			79200	425450	8000	
		मोमो परगमा देओ			935	1950	159750			
		खर्वाडी कम्पनी	792	108	660	650	186500			
		कुल योग	1566	214	1595	2600	425450			
64	26	कृषिआर्यादे कम्पनी	1144	156	627	650	217550	372560	4000	
		भुंयडी कम्पनी	968	132	330	650	155000			
		कुल योग	2112	288	957	1300	372550			

द्वितीय वर्ष :- 2015-16

जिला - अररिया

उत्पाद दुकानों का समूह सहित मासिक न्यूनतम रकम, मासिक अर्जना शुल्क तथा आवदन शुल्क की विवरणी :-

क्र.सं.	समूह सं.	दुकान का नाम	मासिक न्यूनतम रकम (L.P./B.L)				दुकान का मासिक अर्जना शुल्क	समूह का मासिक अर्जना शुल्क	आवदन शुल्क	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	27	मटियारी कम्प्लो	1056	144	627	650	208550	518600	6000	
67		बनारसी कम्प्लो	968	132	627	650	198550			
68		बनारसी (खरसाही) कम्प्लो	528	72	340	550	110500			
		कुल योग	2552	348	1594	1850	518600			
69	28	नारायणपुर कारखाना सं. 1	2288	312			234000	702000	12000	
70		नारायणपुर कारखाना सं. 2	2288	312			234000			
71		नारायणपुर कारखाना सं. 3	2288	312			234000			
		कुल योग	6864	936			702000			
72	29	नारायणपुर कारखाना सं. 4	2288	312			234000	702000	12000	
73		नारायणपुर कारखाना सं. 5	2288	312			234000			
74		नारायणपुर कारखाना सं. 6	2288	312			234000			
		कुल योग	6864	936			702000			

वित्तीय वर्ष :- 2015-16

जिला - अररिया

उत्पाद दुकानों का समूह सहित मासिक अनुदान स्केल तथा आवेदन स्केल की विवरणी :-

क्र० सं०	समूह सं०	दुकान का नाम					मासिक अनुदान स्केल (L.P./B.L.)				समूह का मासिक अनुदान स्केल	आवेदन स्केल	अभिव्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
75	30	खजाना कम्पौ नं० - 1	1056	144	570	650	200000	534000	6000				
76		खजाना कम्पौ नं० - 2	1056	144	570	650	200000						
77		नवागंज कम्पौ	440	60	550	650	134000						
		कुल योग	2552	348	1690	1950	534000						
78	31	नगर पंचायत कार्यालय नं० - 1			1320	2340	221400	664200	12000				
79		नगर पंचायत कार्यालय नं० - 2			1320	2340	221400						
80		नगर पंचायत कार्यालय नं० - 3			1320	2340	221400						
		कुल योग					664200						
81	32	नगर पंचायत कार्यालय नं० - 4			1320	2340	221400	664200	12000				
82		नगर पंचायत कार्यालय नं० - 5			1320	2340	221400						
83		नगर पंचायत कार्यालय नं० - 6			1320	2340	221400						
		कुल योग					664200						

जिला - अररिया

वित्तीय वर्ष :- 2015-16

उत्पाद दुकानों का समूह सहित मासिक न्यूनतम स्केल , मासिक अन्तर्जा स्केल तथा आवेदन स्केल की विवरणी :-

क्र० सं०	समूह सं०	दुकान का नाम				मासिक न्यूनतम स्केल (L.P./B.L.)				दुकान का मासिक अन्तर्जा स्केल	समूह का मासिक अन्तर्जा स्केल	आवेदन स्केल	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
84	33	नगर परिवह कार्यालय वि० नं० - 7		1320	2340	221400	664200	664200	12000		9	10	
85		नगर परिवह कार्यालय वि० नं० - 8		1320	2340	221400							
86		नगर परिवह कार्यालय वि० नं० - 9		1320	2340	221400							
		कूल योग			3960	7020							
87	34	नगर परिवह गंगाबन्नी रोड वि०	880	120		90000	308800	308800	6000		574500	6000	
88		नगर परिवह गंगाबन्नी रोड वि०			1320	218800							
		कूल योग	880	120	1320	2080							
89	35	औरंगाबा वि० नं० - 1	1144	156	495	197750	574500	574500					
90		औरंगाबा वि० नं० - 2	1144	156	495	197750							
91		औरंगाबा वि० नं० - 2	880	120	550	179000							
		कूल योग	3168	432	1540	1950							

जिला - अरिया

वित्तीय वर्ष :- 2015-16

उत्पाद दुकानों का समूह सहित मासिक न्यूनतम स्केल, मासिक अर्न्धा श्रेष्ठ तथा आवदन श्रेष्ठ की विवरणी :-

क्र०	समूह	दुकान का नाम	मासिक न्यूनतम स्केल (L.P.L/B.L)				दुकान का मासिक अर्न्धा श्रेष्ठ	समूह का मासिक अर्न्धा श्रेष्ठ	आवदन श्रेष्ठ	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	36	अरिया कम्पौ	1056	144	589	650	202850	537050	6000	
93		खवासपुर कम्पौ	1056	144	550	650	197000			
94		समील कम्पौ	774	106	350	550	137200			
		कुल शीत	2886	394	1489	1850	537050			
95	37	पुलवाहा कम्पौ	792	108	350	550	139000	408400	6000	
96		साहिबगंज कम्पौ	581	79	550	650	148400			
97		सिमरवाही कम्पौ	616	84	350	550	121000			
		कुल शीत	1989	271	1250	1750	408400			
98	38	त्रिदोल एकददाला कम्पौ	704	96	550	650	161000	484500	6000	
99		त्रिदोल कम्पौ	880	120	490	650	170000			
100		सहस्रवा कम्पौ	704	96	500	650	153500			
		कुल शीत	2288	312	1540	1950	484500			

जिला - अरिया

वित्तीय वर्ष :- 2015-16

उत्पाद टुकानों का समूह सहित मासिक न्यूनतम स्केड , मासिक अर्जुन श्रेष्ठ तथा आवेदन श्रेष्ठ की विवरणी :-

क्र.सं.	समूह सं.	टुकान का नाम	मासिक न्यूनतम स्केड (L.P./B.L)				टुकान का मासिक अर्जुन श्रेष्ठ	समूह का मासिक अर्जुन श्रेष्ठ	आवेदन श्रेष्ठ	अभिव्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	39	मोमो नरपतंग दि०श०			1100	1950	184500	460700	8000	
102		मोमो नरपतंग दि०श०	1056	144			108000			
103		मधुरा उल्लर/पक्षिम कम्प०	774	106	550	650	168200			
		कुल योग	1830	250	1650	2600	460700			
104	40	एडुना कम्प०	440	60	275	520	91450	91450	2000	
		कुल योग	440	60	275	520	91450			
105	41	अधुरा कम्प०	402	55	350	420	97830	97830	2000	
		कुल योग	402	55	350	420	97830			
106	42	बसमतिदा कम्प०	308	42	330	520	86200	86200	2000	
		कुल योग	308	42	330	520	86200			
107	43	एडुनाउल्लर कम्प०	440	60	330	650	101000	101000	2000	
		कुल योग	440	60	330	650	101000			

वित्तीय वर्ष :- 2015-16

जिला - अररिया

उत्पाद दुकानों का समूह सहित मासिक अनुक्रम रकम, मासिक अनुशा रकम तथा आवेदन रकम की विवरणी :-

क्र०	समूह सं०	दुकान का नाम	मासिक अनुक्रम रकम (L.P./B.L.)					दुकान का मासिक अनुशा रकम	समूह का मासिक अनुशा रकम	आवेदन रकम	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
108	44	विपरीत कमी	704	96	440	650	144500	144500	2000		
		कुल योग	704	96	440	650	144500				
		कुल योग	616	84	550	520	150700				
		कुल योग	616	84	550	520	150700				
109	45	एनएचबी रकम हरि/आदिग्राम कमी	616	84	550	520	150700	150700	2000		
		कुल योग	616	84	550	520	150700				
		कुल योग	616	84	550	520	150700				
		कुल रकम योग	92938	12677	68556	102668	20815430				

समाप्त
अररिया

ज्ञाप संख्या264...../30

दिनांक27.2.2015

प्रतिलिपि :- आयुक्त उत्पाद, बिहार पटना/ सभी समाहर्ता / सभी उपायुक्त उत्पाद/ सभी अधीक्षक उत्पाद/ सभी आरक्षी अधीक्षक/ अनुमंडल पदाधिकारी , अररिया/ फारबिसगंज , सभी अंचलाधिकारी, अररिया/ सभी प्रसंग विकास पदाधिकारी अररिया/ सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी , अररिया/ निरीक्षक उत्पाद, अररिया को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचारार्थ प्रेषित ।

बढोवस्ती में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपनी पात्रता के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ सभी अभिलेख एवं देय नगद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा दिनांक 9.03.2015 तक (शाम 5 बजे तक) अधीक्षक उत्पाद अररिया के कार्यालय में जमा कर सकते हैं ।



समाहर्ता

अररिया